

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक : ए.4()लेखा/प्रतिबद्ध/2017-18/

दिनांक :-

कुल सचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रतापनगर, जयपुर, -
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर/
एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर/ मेडिकल कॉलेज उदयपुर/
मेडिकल कॉलेज, बीकानेर/ मेडिकल कॉलेज, अजमेर/ मेडिकल कॉलेज, कोटा।

विषय:- बजट प्रस्ताव संबंधित मेडिकल कॉलेज के माध्यम से प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप 2) विभाग का आदेश

क्रमांक प01(1)चिस्वा/2/2016 दिनांक 24.02.2016 तथा आदेश क्रमांक

प01(1)चिस्वा/2/2016 दिनांक 28.04.2016 एवं विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा(ग्रुप 1)

विभाग का आदेश क्रमांक प07(146)डीएमई/एके/16/4433 दिनांक 29.06.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों के द्वारा निदेशक(जन स्वास्थ्य) के नियन्त्रणाधीन निम्नलिखित चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेजों के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन किया गया है:-

क्र.सं.	मेडिकल कॉलेज/ विश्वविद्यालय का नाम	नियन्त्रणाधीन चिकित्सालय
1	कुल सचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रतापनगर, जयपुर,	जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
2	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	1. सेठी कालोनी सैटेलाईट अस्पताल, जयपुर 2. कांवटिया अस्पताल, जयपुर 3. बनीपार्क सैटेलाईट अस्पताल, जयपुर
3	एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	1. जिला चिकित्सालय पावटा, जोधपुर 2. महिला जिला अस्पताल, जोधपुर 3. चौपासनी सैटेलाईट अस्पताल, जोधपुर 4. प्रताप नगर सैटेलाईट अस्पताल, जोधपुर 5. शिवराम नथूराम टॉक चिकित्सालय, मण्डोर, जोधपुर
4	मेडिकल कॉलेज उदयपुर	1. श्री खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाईट अस्पताल, उदयपुर 2. सुन्दरसिंहमण्डारी, सैटेलाईट अस्पताल, उदयपुर
5	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1. गंगाशहर सैटेलाईट अस्पताल, बीकानेर 2. जिला अस्पताल, बीकानेर
6	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	आदर्श नगर सैटेलाईट अस्पताल, अजमेर
7	मेडिकल कॉलेज, कोटा	रामपुरा अस्पताल, कोटा

विभाग की बीएफसी(राज्य निधि प्रतिबद्ध) मीटिंग दिनांक 08.11.2017 को उप शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग के कक्ष में आयोजित की गई है जिसमें उक्त अस्पतालों के लिए वर्ष 2018-19 हेतु बजट प्रावधान संबंधित मेडिकल कॉलेज के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्ष 2018-19 हेतु विभाग नियंत्रणाधीन राज्य निधि के लेखामदों में उक्त अस्पतालों के लिए बजट प्रावधान नहीं लिया गया है।

अतः उक्त चिकित्सालयों हेतु संबंधित मेडिकल कॉलेज वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वित्तीय प्रावधान स्वीकृत कराने की व्यवस्था करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार संदर्भित आदेश।

६०

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक :- 14/11/2017

क्रमांक : ए.4()लेखा/प्रतिबद्ध/2017-18/ 881

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, विभाग।
3. मिशन निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
5. विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.सी.एल., जयपुर।
8. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
9. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन- राजस्थान।
10. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, राजस्थान।
11. प्रभारी अधिकारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर